Sheela Kumari Vs. Pankaj Ram

30.06.2026

अभिलेख में आज तिथि नियत होने के कारण अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। परिवादिनी की हाजरी है। पुकार पर परिवादिनी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि यह आपराधिक परिवाद दिनांक 27.02.2026 को दाखिल किया गया था। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस मामले में परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त तीन साक्षीं ममता कुमारी, विजय रविदास एवं विनोद रविदास का साक्ष्य करवाया है।

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादिनी शीला कुमारी का मामला साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक 23.02.2026 दिन के 11.00 बजे वह अपने घर से निकलकर सिकन्दरा ब्लॉक जा रही थी। जैसे ही घर से बाहर निकली की पंकज राम मोटरसाईकिल रोकते हुये उसका झोंटा पकड़ लिया और बोला ''साली, हरामजादी, चमैन, छूत, जात तुम्हारा मन बढ़ गया है, तुम नरेश रविदास के विरूद्ध जमीन विवाद को लेकर मना करने के बाद भी अंचल जाती है और उठाकर उसको जमीन पर पटक दिया। फैट से नाक पर मारा, नाक से खून गिरने लगा। पंकज राम शीला कुमारी के साथ आपत्तिजनक हरकत करते हुये गला दबाने लगा, साड़ी ब्लॉउज फाड़ दिया और जमीन पर गिराकर घसीटने लगा और कहने लगा कि '' साली मुकदमा करना है, करती रहो''।

यहां उल्लेखनीय है कि परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त तीन साक्षीं ममता कुमारी, विजय रविदास एवं विनोद रविदास का साक्ष्य करवाया है। परिवादी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) में कथन किया है कि मोटरसाईकिल से पंकज राम आया और बोला कि छोटी जात चमैन ब्लॉक जाने से मना करते है, तो ब्लॉक क्यों जाती हो। झोंटा पकड़ कर गिरा दिया और ब्लॉउज फाड़ दिया। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया है कि पंकज राम उसके चाचा नरेश रविदास का पक्ष लेता है तथा वह अपने भाई विजय रविदास के लिये ब्लॉक जाती है, इसलिये रोकता है। इस तथ्य का उल्लेख परिवादिनी ने

अपने परिवाद पत्र में भी किया है। जांच साक्षी संख्या 1, ने अपने जांच साक्ष्य में साररूप से प्राथमिकी का समर्थन की एवं कथन की कि पंकज राम ने शीला के नाक पर एक मुक्का मार दिया, जिससे नाक से खून बहने लगा। स्पष्ट है कि स्वयं परिवादिनी ने मारपीट की बात अपने सशपथ बयान में नही कही है। जांच साक्षी संख्या 2 ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि शीला कुमारी रोड़ पर जा रही थी तो पंकज राम उसका झोंटा पकड़कर बोला साली, हरामजादी, रण्डी, भोसड़ी, चमैन, छूत जात मन बढ़ गया है। पंकज राम ने शीला देवी के फैट से मारा, जिससे खून बहने लगा। जांच साक्षी संख्या 3 ने कथन किया है कि नरेश दास का विजय रविदास से जमीनी विवाद है। शीला देवी इसी विवाद के कारण ब्लॉक गयी तो पंकज राम ने शीला को धमकी दिया कि तुम ब्लॉक मत जाओ तथा दूसरे दिन जब शीला ब्लॉक जा रही थी तो रास्ते में छेड़खानी किया। **स्पष्ट है कि इस साक्षी ने भी मारपीट करने के तथ्य का उल्लेख नही किया है तथा परिवादिनी ने कहा है कि उसका ब्लॉउज फाड़ किया है। जांच साक्षी संख्या 1 ने कहा है कि साड़ी खींच लिया। परिवादिनी के भाई, जो जांच साक्षी संख्या 2 है, ने परिवादिनी की साड़ी खींचने अथवा ब्लॉउज फाड़ने की बात नही की है, जबकि उसने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि वह और उसकी बहन (परिवादिनी) घटना के समय ब्लॉक साथ जा रहे थे। स्पष्ट है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मामले को बढ़ा–चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है। किंतु कुछ विषयों पर साररूप से सभी जांच साक्षियों के साक्ष्य में समानता है। अतः** मेरे विचार से अभियुक्त पंकज राम के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 296 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r), 3(1)(S) के अंतगर्त दण्डनीय अपराध के करने का **प्रथम दृष्टया मामला बनता है**। अतः परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त की उपस्थिति हेतु समन की आपेक्षिताएं दाखिल करे।

वाद दिनांक **वास्ते समन की आपेक्षिताएं दाखिल करने हेतु।।**

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जमुई।